भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2177

12 दिसम्बर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

झारखंड में आयुष को प्रोत्साहन

2177. श्री विजय कुमार हांसदाक:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश, विशेषकर झारखंड में जहां जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों पर निर्भर है, में आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी और आयुष की अन्य संबंधित उपचार पद्धति को प्रोत्साहन देने के लिए किए गए प्रयासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत दस वर्षों के दौरान योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा आदि से संबंधित स्थापित किए गए संस्थानों और प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में, विशेषकर झारखंड में, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी आदि से संबंधित स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित संस्थानों और प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): सरकार अपनी विभिन्न पहलों के माध्यम से झारखंड राज्य सहित देश में आयुष को बढ़ावा देने में सक्षम रही है। स्वास्थ्य देखभाल सेवा की आयुष पद्धति के प्रचार के अधिदेश को पूरा करने के उद्देश्य से, आयुष मंत्रालय आयुष में सूचना शिक्षा एवं संचार (आईईसी) को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र योजना कार्यान्वित करता है। इस योजना का उद्देश्य, झारखंड राज्य सहित देश भर में आबादी के सभी वर्गों तक पहुंच बनाना है। इस योजना के तहत, मंत्रालय स्वास्थ्य देखभाल सेवा की आयुष पद्धति के बारे में नागरिकों में जागरूकता पैदा करने के लिए, राष्ट्रीय/राज्य स्तर के आरोग्य मेलों, योग उत्सवों, आयुर्वेद पर्वों का आयोजन करता है, आयुष पद्धति के महत्वपूर्ण दिवसों को मनाता है, स्वास्थ्य मेलों, प्रदर्शनियों आदि में भाग लेता है, सेमिनार, कार्यशालाओं, सम्मेलनों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है तथा मल्टीमीडिया अभियान आदि चलाता है।

इसके अलावा, मंत्रालय देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, विशेष रूप से झारखंड में आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी और आयुष की अन्य संबंधित चिकित्सा पद्धतियों सहित, आयुष पद्धति के विकास तथा संवर्धन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रहा है। मिशन के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) में प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। झारखंड सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एनएएम दिशा-निर्देशों के अनुसार एसएएपी के माध्यम से प्रस्ताव भेजकर वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

एनएएम, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए सहायता प्रदान करता है:

(i) आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (एएचडब्ल्यूसी), जिनका नाम अब बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) कर दिया गया है, का संचालन।

(ii) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना।

(iii) मौजूदा एकल सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन।

(iv) मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन; किराए वाले/जीर्ण-शीर्ण आवास में संचालित मौजूदा आयुष औषधालयों के लिए भवनों का निर्माण; और नए आयुष औषधालयों की स्थापना के लिए भवनों का निर्माण।

(v) 10/30/50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना।

(vi) सरकारी आयुष अस्पतालों, सरकारी औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष अस्पतालों को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति।

(vii) आयुष सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।

(viii) उन राज्यों में नए आयुष कॉलेजों की स्थापना जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है।

(ix) पीजी/फार्मेसी/पैरा-मेडिकल पाठ्यक्रमों को शामिल करने सहित, आयुष स्नातक-पूर्व संस्थानों और आयुष स्नातकोत्तर संस्थानों का ढांचागत विकास।

एनएएम के अंतर्गत आबंटन और व्यय, मांग पर आधारित हैं तथा राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से अनुमोदित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रस्तावों पर निर्भर करते हैं।

(ख) और (ग): चूंकि जन-स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए देश में योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी आदि से संबंधित संस्थानों और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। तथापि, राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, 50/30/10 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है। तदनुसार, राज्य सरकार राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से उपयुक्त प्रस्ताव भेजकर वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती है।

*****